

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला**भिण्ड (म0प्र0)****आपराधिक प्रक0क्र0-564 / 12****संस्थित दिनांक-24.07.12**

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-मौ

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

गंधर्व उर्फ गबडू पुत्र निहालसिंह जाट

उम्र 45 साल, निवासी ग्राम झांकरी थाना मौ

.....अभियुक्त

—:: निर्णय ::—**{आज दिनांक 24.10.17 को घोषित}**

अभियुक्त पर आयुध अधिनियम 1959 (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25-(1-ख) (ख) के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 24.06.12 को 13:50 बजे इटायदा रोड पहाड़ी के नीचे ग्राम झांकरी में एक लोहे की तलवार बिना किसी वैध अनुज्ञापत्र के अपने आधिपत्य में रखी, जो म0प्र0 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6321-6552-।।-बी-1 दिनांक 22.11.1974 के विपरीत है।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि थाना मौ की चौकी झांकरी में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक राजवीर शर्मा दिनांक 24.06.12 को पदस्थ थे। उन्हें सूचना मिली कि अभियुक्त इटायदा रोड पर पहाड़ी के नीचे नंगी तलवार लिए घूम रहा है, कोई संगीन वारदात कर सकता है। उक्त सूचना पर हमराह आरक्षक सुनील शर्मा नं0 551 के साथ मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचा तो वहां एक व्यक्ति पुलिस को देखकर तेज चलने लगा जिसे मोटरसाईकिल से घेरकर पकड़ा। उसके दाहिने हाथ में तलवार थी जिसे रखने का लायसेंस पूछा तो अभियुक्त ने लायसेंस न होना बताया। अभियुक्त का नाम पता पूछा और घटनास्थल पर जब्ती पत्रक, गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाया, चौकी लाकर शून्य पर अपराध की प्राथमिकी लेख की, तत्पश्चात् थाना मौ में अप0क्र0 142/12 की रिपोर्ट पंजीबद्ध की गयी। दौरान अनुसंधान कथन लिए गए, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द0प्र0स0 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 24.06.12 को 13:50 बजे इटायदा रोड पहाड़ी के नीचे ग्राम झांकरी में एक लोहे की तलवार बिना किसी वैध अनुज्ञापत्र के अपने आधिपत्य में रखी ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में रामसिया अ0सा0 1, रामजीलाल अ0सा0 2, राजवीर शर्मा अ0सा0 3, सुनील शर्मा अ0सा0 4 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

6. जब्तीकर्ता राजवीर शर्मा अ0सा0 3 यह कथन करते हैं कि दिनांक 24.06.12 को थाना मौ चौकी झांकरी में एसआई के पद पर पदस्थ थे। उन्हें उक्त दिनांक को जर्गे मुखबिर सूचना मिली कि अभियुक्त इटायदा रोड पर नंगी तलवार लिए घूम रहा है और कोई संगीन वारदात कर सकता है। उक्त सूचना की तत्पश्चात् हेतु आरक्षक सुनील शर्मा के साथ मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे जहां गांव की ओर जाता एक आदमी दिखा जो पुलिस को देखकर तेज चलने लगा, तब उन्होंने उसे मोटरसाईकिल से घेरकर पकड़ा। वह व्यक्ति अपने हाथ में एक लोहे की नंगी तलवार लिए था। नाम पूछने पर अभियुक्त ने अपना नाम गबडू उर्फ गंधर्व निवासी झांकरी का होना बताया। लायसेंस के बारे में पूछने पर उसने लायसेंस न होना बताया। साक्षी द्वारा मौके पर समक्ष साक्षीगण अभियुक्त से लोहे की तलवार जब्तकर जब्ती पत्रक प्रपी0 1 बनाया जिस पर अपने बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं। अभियुक्त का गिर0 पत्रक प्र0पी0 2 बनाए जाने और उस पर भी बी से बी भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। थाने वापस लाकर रोजनामचा सान्हा में वापसी इन्द्राज कर प्र0पी0 4 के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर बताकर प्रमाणित करते हैं। तत्पश्चात् चौकी झांकरी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट 011/12 पंजीबद्ध कर उसे प्र0पी0 5 के रूप में प्रदर्शित कर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं। इसके बाद अपराध कायमी हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना मौ को भेजे जाने का कथन करते हैं।

7. प्रकरण में प्र0पी0 1 के जब्ती पत्रक एवं प्र0पी0 2 के गिर0 पत्रक के साक्षी रामसिया अ0सा0 1 एवं सुनील अ0सा0 4 हैं जिनमें से रामसिया अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में न तो अभियुक्त को पहचानने का कथन करते हैं और न ही उसके समक्ष अभियुक्त से कोई तलवार जब्त होने व गिर0 होने का समर्थन करते हैं। प्र0पी0 1 व 2 पर मात्र ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार करते हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी द्वारा सूचक प्रश्नों में भी अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया गया है।

8. सुनील अ0सा0 4 यह कथन करते हैं कि दिनांक 24.06.12 को वे चौकी झांकरी में आरक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को जरिये मुखबिर सूचना एएसआई आर.बी. शर्मा प्राप्त हुई कि अभियुक्त इटायंदा रोड पर पहाड़ी के नीचे नंगी तलवार लिये घूम रहा है तब वे एएसआई के साथ बताये स्थान पर गये और वहां पर अभियुक्त को घेर कर पकड़ा जिसके पास से एक तलवार जप्त की गयी थी। प्रपी 1 के जप्तीपत्रक व प्रपी 2 गिरफ्तारी पत्रक के सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं। इस तरह से यह साक्षी प्रकरण में अभियोजन के मामले का पूर्णतः समर्थन करता है। राजवीर शर्मा अ0सा0 3 वापिसी रोजनामचाशाना प्रपी 4 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। इसके अतिरिक्त सुनील शर्मा अ0सा0 4 स्वयं मुखबिर की सूचना लेख करना बताते हुए प्रपी 6 का रोजनामचाशाना एवं रवानगी रोजनामचाशाना प्रपी 7 सत्यापित कर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं। इस प्रकार से उक्त साक्षी द्वारा जप्तीकर्ता राजवीर शर्मा के कथनों की संपुष्टि की गयी है।

9. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना का समर्थन किसी स्वतंत्र साक्षी के द्वारा नहीं किया गया है, ऐसे में अभियोजन का मामला विश्वास योग्य नहीं है। यद्यपि प्रकरण में किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा जप्ती कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है किंतु स्वतंत्र साक्षी के रूप में रामसिया अ0सा0 1 परिक्षित कराये गये जो कि प्रपी 1 व 2 पर अपने ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार करते हैं किंतु अभिकथित हस्ताक्षर कहां से दस्तावेजों पर किए और कब किये इस संबंध में अभियुक्त की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं कराया गया है तथा न ही स्वयं साक्षी ने इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। दांडिक विधि के अनुसार ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुलिस साक्षी की अभिसाक्ष्य पर अविश्वास किया जाये बल्कि पुलिस साक्षी को भी अन्य सामान्य साक्षी की भांति विश्लेषित किये जाने की आवश्यकता होती है। न्यायालय का ध्यान न्यायनिर्णय- राजाखिरना विरुद्ध स्वराष्ट्र राज्य ए आई आर 1954 एस सी पेज 217 में अभिनिर्धारित किया है कि सामान्य: न्यायालय यही उपधारणा करेगी कि पुलिस द्वारा जो कार्य किया गया है वह सही रूप से किया गया है। पुलिस अधिकारी के द्वारा किये गये कार्य को अविश्वास की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। न्यायदृष्टांत- मदन सिंह विरुद्ध राजस्थान राज्य ए आई आर 1978 एस सी 1511, अनिल एलेसिस अन्ताया सदाशिव नन्दोस्कर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य एआई आर 1996 एस सी 2943 तथा ताहिर बनाम स्टेट आफ दिल्ली ए आई आर 1996 एस सी 3079 में यह सिद्धांत परिपादित किया कि मात्र पुलिस अधिकारी होने के कारण उसकी साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाती है यह साबित होना चाहिए कि क्यो झूठा मामला बनाया जाएगा यदि पुलिस अधिकारी के कथनों का समर्थन स्वतंत्र गवाहों ने किया तो फिर भी पुलिस अधिकारी का कथन यदि विश्वसनीय है तो ऐसी स्थिति में उसके आधार पर भी सजा दी जा सकती है।" हाल ही में मान0 म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत घनश्याम लक्ष्मीनारायण पाटीदार व अन्य विरुद्ध म0प्र0 राज्य 2016 किमनल लॉ जनरल 4937 में प्रतिपादित

सिद्धांत उल्लेखनीय है। उक्त मामले में मान० उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि विधि का सुस्थापित सिद्धांत यह है कि पुलिस अधिकारी की अभिसाक्ष्य पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है, जबकि न्यायालय का यह मत हो कि साक्षी सत्यवादी एवं विश्वसनीय है। इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा मान० सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत लूपचंद नारुजी जाट व अन्य विरुद्ध गुजरात राज्य (2004) 7 एस०सी०सी० 566, अब्दुल मजीद अब्दुल हक अंसारी विरुद्ध गुजरात राज्य (2003) 10 एस०सी०सी० 198 तथा पी०पी० वीरन विरुद्ध केरल राज्य (2001) 9 एस०सी०सी० 57 पर आस्था व्यक्त की है। ऐसी दशा में न्यायालय को यह देखना है कि क्या जब्तीकर्ता अधिकारी राजवीर शर्मा अ०सा० 3 एवं सुनील अ०सा० 4 की अभिसाक्ष्य विश्वसनीय हैं।

10. जप्तीकर्ता राजवीर शर्मा अ०सा० 3 द्वारा अपनी अभिसाक्ष्य में स्वीकार किया है कि उन्होंने जप्तशुदा तलवार के संबंध में कोई मानचित्र तैयार नहीं किया और न ही जप्तीपत्रक प्रपी 1 के कॉलम नंबर 13 में कोई नमूनाशील अंकित की, किंतु जप्तशुदा तलवार का कोई मानचित्र बनाने का आज्ञापक प्रावधान नहीं है। जहां तक मात्र कॉलम नंबर 13 में नमूनाशील अंकित न किये जाने का तथ्य है तो मात्र नमूनाशील अंकित न करने से जप्तशुदा संपत्ति की जप्ती का तथ्य खंडित नहीं हो जाता है, साथ ही राजवीर अ०सा० 3 व सुनील अ०सा० 4 द्वारा की गयी कार्यवाही को विधिवत रोजनामचाशाना प्रपी4, 6, 7 के माध्यम से प्रमाणित किया है। अभियुक्त को मिथ्या रूप से लिप्त किये जाने के संबंध में कोई आधार भी प्रतिपरीक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसी दशा में जप्तीकर्ता अधिकारी राजवीर शर्मा अ०सा० 3 की अभिसाक्ष्य विधिवत रूप से सुनील शर्मा अ०सा० 4 के अभिसाक्ष्य से समर्थित है। इसके अतिरिक्त प्रपी1 के दस्तावेज, थाने आकर प्रपी5 की कायमी किया जाना विधितः रोजनामचाशाना दस्तावेजों के माध्यम से समर्थित होकर भति भांति प्रमाणित है। ऐसे में अभियोजन साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन पक्ष यह तथ्य प्रमाणित करने में युक्तियुक्त संदेह से परे सफल रहा है कि दिनांक 24.06.12 को दोपहर 13:50 बजे अभियुक्त ने इटायदा रोड पहाड़ी के नीचे ग्राम झांकरी में एक लोहे की प्रतिबंधित आकार की तलवार बिना किसी वैध अनुज्ञापत्र के अपने आधिपत्य में रखी, जो म०प्र० राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6321-6552-।।-बी-1 दिनांक 22.11.1974 के विपरीत है।

12. अभियुक्त का कृत्य स्वेच्छा पूर्वक अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के प्रतिबंधित आकार की तलवार संधारित किए जाने के आधार पर दोषी पाया गया है, ऐसे में उसे परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त व उनके विद्वान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

पुनश्च:

13. अभियुक्त एवं उनके विद्वान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्त की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्त के ग्रामीण मजदूर व्यक्ति आधार पर एवं उसके अभिरक्षा में बिताई गयी अवधि को देखते हुए उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।

14. अभियुक्त यद्यपि अभियोजन दस्तावेजों के अनुसार अभियुक्त के ग्रामीण परिवेश के मजदूर होने का तथ्य अभिलेख पर है, किन्तु उसके द्वारा ज्ञानयुक्त आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के अपराध कारित करने के आशय से प्रतिबंधित आकार की तलवार संधारित किए जाने के संबंध में आरोप प्रमाणित पाया गया है। यद्यपि अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर तथ्य नहीं हैं किन्तु चंबल क्षेत्र में अवैध हथियारों से अपराधों को कारित किए जाने की प्रवृत्ति तीव्रता से बढ़ रही है जिसे हतोत्साहित किए जाने का प्रयास प्रत्येक स्तर पर आवश्यक है ऐसे में अभियुक्त को अधिनियम की धारा 25-(1बी) (बी) के अधीन न्यूनतम उपबंधित सजा **एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्तगण को **एक माह** का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

15. अभियुक्त से जब्तशुदा प्रतिबंधित आकार की तलवार मूल्यहीन एवं अनुपयोगी होने से तोड़-तोड़कर नष्ट की जावे। अपील की दशा में मान0 अपील न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन हो।

16. अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि के संबंध में दप्रस की धारा 428 का प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से संलग्न किया जावे। अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि यदि कोई रही हो तो वह दी गयी सजा में समायोजित की जावे।

17. निर्णय की एक प्रति अविलंब अभियुक्त को प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)